



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062021-227694
CG-DL-E-18062021-227694

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 334]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 18, 2021/ज्येष्ठ 28, 1943

No. 334]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 18, 2021/JYAISHTHA 28, 1943

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2021

सा.का.नि. 418(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 150 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (स्वतंत्र निदेशकों के डाटा बैंक का सृजन और अनुरक्षण) नियम, 2019 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (स्वतंत्र निदेशकों के डाटा बैंक का सृजन और अनुरक्षण) संशोधन नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (स्वतंत्र निदेशकों के डाटा बैंक का सृजन और अनुरक्षण) नियम, 2019 में, नियम 3 में,-

(क) उप-नियम (7) में, खंड (क) में, “नाम के समावेशन”, शब्दों के पश्चात् “अथवा नवीकरण” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उप-नियम (7) के पश्चात्, स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(8) किसी व्यक्ति की ओर से उप-नियम (7) के तहत डाटा बैंक में अपने नाम के समावेशन हेतु संस्थान को आवेदन करने में विलंब करने के मामले में अथवा उसके नवीकरण हेतु आवेदन फाइल करने में विलंब करने के मामले में, संस्थान ऐसे विलंब के कारण एक हजार रुपये की अतिरिक्त फीस प्रभारित करने के पश्चात् कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 के नियम 6 के अधीन ऐसे समावेशन या नवीकरण, जैसा भी मामला हो, की अनुमति देगा।”।

[फा. सं. 8/4/2018-सीएल.।]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम दिनांक 22 अक्तूबर, 2019 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 805(अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th June, 2021

G.S.R. 418(E).—In exercise of the powers conferred by section 150 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, to amend the Companies (Creation and Maintenance of databank of Independent Directors) Rules, 2019, namely:-

1. Short Title and Commencement.— (1) These rules may be called the Companies (Creation and Maintenance of databank of Independent Directors) Amendment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Creation and Maintenance of databank of Independent Directors) Rules, 2019, in rule 3,-

(a) in sub-rule (7), in clause (a), after the words “for inclusion”, the words “or renewal” shall be inserted;

(b) after sub-rule (7), before explanation, the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(8) In case of delay on the part of an individual in applying to the institute under sub-rule (7) for inclusion of his name in the data bank or in case of delay in filing an application for renewal thereof, the institute shall allow such inclusion or renewal, as the case may be, under rule 6 of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 after charging a further fees of one thousand rupees on account of such delay.”.

[F. No. 8/4/2018-CL-I]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* number G.S.R. 805 (E), dated the 22nd October, 2019.